प्रकरण संख्या 190/2017 लिम्बा बनाम श्रीमती वरजू के बजाय कचरूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.20	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा श्यामपुरा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 74 रकबा 8.96 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें नाथू पिता अमरा डांगी का 1/3 हिस्सा, कालू पिता केवा डांगी का 1/3 हिस्सा, खेमा पिता तेजी का 1/12 हिस्सा, लिम्बा, हीरा पिता गोता का 1/6 हिस्सा एवं मावाराम व खेमी पत्नी मावाराम का 1/12 हिस्सा है। नाथू ने दिनांक 26–06–2000 को अपना कुलिया हक हिस्से की वसीयत वादी के पक्ष में कर दी, किन्तु नाथू की मृत्यु पर नामान्तरकरण गंगा व वरजू के नाम स्वीकृत हो गया, जबकि कब्जा जमीन पर उनका कभी नहीं रहा, बल्कि कब्जा वादी का चला आ रहा है। विवादित भूमि प्रतिवादी के नाम गलत दर्ज हो जाने से वह नुमाईशी विक्रय करने पर उतारू है। अतः निवेदन किया कि वाद पत्र की पैरा संख्या 5 में वर्णित आराजी नंबर 1136 से 1146 किता 11 रकबा 1.48 हैक्टर में नाथू के 1/9 हिस्से का व इस इन आराजियात के अलावा वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में नाथू के 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने संदिग्ध वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। अतः वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जावे। वादी द्वारा उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 08.11.2017 से प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि	

अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर आयी वसीयत को देखे बिना मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है। वसीयत के आधार पर खातेदार घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। आदेश 7 नियम 11 का स्कोप बहुत सीमित होता है, इसमें केवल दावे को ही देखा जायेगा, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश जारी करते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार प्रकरण में विधिवत विवेचन करते हुए हमारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं मानते हुए प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर अपीलान्ट/वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज कर दिया है, जबकि प्रतिवादी उक्त आवेदन में ली गयी आपत्तियों को जवाबदावे में उठा सकता था, जिसके आधार पर तनकियात कायम कर अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय किया जाना चाहिए था, प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है, जैसाकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 633 से स्पष्ट होता है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का जवाबदावा लेकर प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:29:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: